यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/115/2017 **दिनांक :** 18.12.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

एआईबीईए–एआईबीओए का अभियान कार्यक्रम – लोक सभा, अध्यक्ष को जन याचिका

अपने विगत परिपत्रों के माध्यम से, हमने यूएफबीयू के राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम तथा इस अभियान हेतु एआईबीईए–एआईबीओए के लिए 1 करोड़ हस्ताक्षर के लक्ष्य के विषय में अवगत कराया था। अब एआईबीईए तथा एआईबीओए ने अपने संयुक्त परिपत्र दिनांक 16.12.2017 के माध्यम से अभियान के विषय में कुछ निर्देश जारी किए हैं तथा हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए राज्यवार लक्ष्य/कोटा भी प्रेषित किया है। इस अभियान हेतु उत्तर प्रदेश को 10,00,000 हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य/कोटा दिया गया है जिसके अनुरूप सभी संबद्ध बैंकशः संगठनों तथा जिला इकाईओं को न्यूनतम कोटा पहले ही सूचित किया जा चुका है। हम उपरोक्त संयुक्त परिपत्र का अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान के लिए नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

बैंकों को बचायें, अर्थव्यवस्था को बचायें, लोगों को बचायें, राष्ट्र को बचायें

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को जन याचिका

एआईबीईए–एआईबीओए के लिए लक्ष्य : एक करोड़ हस्ताक्षर

अभियान की अवधि : 20 दिसम्बर 2017 से 31 जनवरी 2018

अपने परिपत्र दिनांक 10.12.2017 के माध्यम से, हमने बैंकिंग ग्राहकों तथा आम जनता की हानि के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर बढ़ते हुए हमलों पर प्रकाश डालने के लिए अपने राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम को प्रारंभ करने के बारे में सूचित किया था। अभियान का मुख्य कार्य लोक सभा अध्यक्ष के लिए जन याचिका में एक करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करना है।

हमने हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए प्रयोग की जाने वाली याचिका का नमूना भी भेज दिया है।

1. हमारी सभी प्रदेश फैडरेशनों/राज्य समितियों/बैंकवार यूनियनों को उचित परिपेक्ष्य में मामले में तुरन्त आगे बढ़ना चाहिए।
2. चूंकि जन याचिकाओं को फरवरी, 2018 में लोक सभा अध्यक्ष को सौंपा जाना है, हमारा अभियान जनवरी, 2018 के अंत तक समाप्त हो जाना चाहिए।

3. जन याचिकाओं को बड़े पैमाने पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं में तुरन्त छपवाया जाना चाहिए और हमारी सभी शाखा इकाईओं को भेजा जाना चाहिए।
4. इस अभियान कार्यक्रम को आंरभ करने के लिए कार्रवाई की योजना तैयार करने के लिए सभी स्तरों पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
5. हमारी इकाईओं द्वारा एकत्र की गईं हस्ताक्षरों के साथ सभी जन याचिकाओं को **सम्बन्धित प्रदेश फैडरेशनों/राज्य समितियों को भेजा जाना चाहिए** जो उन्हें समेकित करेंगी तथा एआईबीईए तथा एआईबीओए के केन्द्रीय कार्यालय को अग्रेषित करेंगी।
6. हमारे नेताओं/यूनियनों को महत्वपूर्ण व्यक्तियों, विधायकों/सांसदों, राजनीतिक/श्रम संगठन नेताओं तथा अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलना चाहिए तथा उनके हस्ताक्षर एकत्र करने चाहिए। ऐसे अवसरों की तस्वीरें विवरण के साथ हमें भेजी जानी चाहिए।
7. पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स बैनर, आदि उपयुक्त रूप से तैयार किये जाने चाहिए तथा हमारे अभियान पर प्रकाश डालने के लिए बैंक शाखाओं के सम्मुख तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

अभिवादन सहित,

आपके साथी,

ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री
एआईबीईए

ह0..
एस. नागराजन
महामंत्री
एआईबीओए

हम माँग करते हैं

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और अधिक सुदृढ़ तथा विस्तारित किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए।
- बैंकों के विलय और समेकन की योजनाओं को बंद करें
- कॉर्पोरेट कम्पनियों की गैर–अनार्जक आस्तियों/खराब ऋणों को बट्टे खाते न डालें।
- खराब ऋणों की जानबूझकर तथा सुविचारित चूक को दण्डनीय अपराध के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।
- खराब ऋणों की त्वरित वसूली को सक्षम करने लिए वसूली कानूनों में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिए।
- बैंकों में खराब ऋणों को वसूल करने के लिए कठोर उपाय किए जाने चाहिए
- बैंक ऋण बकाएदारों के नामों को 6 माह में एक बार प्रकाशित किया जाना चाहिए
- खराब ऋणों की वसूली पर संसदीय समिति की अनुशंसाओं को लागू करें
- खराब ऋणों के लिए बैंक कार्यकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्ति करें
- प्रस्तावित एफआरडीआई विधेयक को वापस लिया जाए – जमाकर्ताओं के धन की रक्षा की जाए
- शुल्कों में वृद्धि के द्वारा ग्राहकों पर खराब ऋणों के बोझ को न डालें
- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार द्वारा पर्याप्त पूंजी दी जानी चाहिए
- बैंकरहित ग्रामीण क्षेत्रो में अधिक से अधिक शाखायें खोली जानी चाहिए
- नियमित बैंकिंग सेवाओं को निजी ठेकेदारों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए
- उदार शर्तों के साथ कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण दिया जाना चाहिए
- रोजगार सृजन परियोजनाओं के लिए अधिक ऋण दिया जाना चाहिए
- बैंक जमाओं पर ब्याज की दर बढ़ाई जानी चाहिए
- बैंक जमाओं पर ब्याज को आयकर से छूट दी जाए
- सहकारी बैंकों के मुनाफे को आयकर से छूट दी जानी चाहिए
- सहकारी बैंकों को पर्याप्त पूंजी प्रदान की जानी चाहिए
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निजी क्षेत्र को नहीं सौंपना चाहिए
- बैंकों में लिपिकीय तथा अधीनस्थ संवर्गों की पर्याप्त भर्ती सुनिश्चित की जाए